रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 299] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 1989/ज्येष्ठ 5, 1911
No. 299] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 1989/JYAISTHA 5, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 1989

का.आ. 378(अ).—भारत में ऐसे नाशक जीव मारों के जिन पर अन्य देशों में उपयोग के लिए या तो पाबंदी लगी हुई है या निर्बन्धित है, निरंतर उपयोग का पुनर्विलोकन करने की दृष्टि से भारत सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है।

अब, अतः केन्द्रीय सरकार उक्त विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् और नाशक जीवमार अधिनियम, 1968 के अधीन स्थापित रजिस्ट्रीकरण समिति से परामर्श करने के पश्चात् नाशक जीवमार अधिनियम, 1968 की धारा 28 के साथ पठित धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश पारित करती है :—

(1) कृषि में डी.डी.टी. का उपयोग बंद किया जाता है। ऐसी प्रत्येक विशेष परिस्थितियों में, जिनमें पौध संरक्षण कार्य के लिए डी.डी.टी. का उपयोग अपेक्षित हो, राज्य या केन्द्रीय सरकार विशेषज्ञ सरकारी पर्यावेक्षण के अधीन उपयोग किए जाने के लिए उसका सीधे मैसर्स हिन्दुस्तान नाशक जीवमार लिमिटेड से क्रय कर सकती है।

(2) किसी महामारी के मुख्य प्रकोप के मामले को छोड़कर प्रति वर्ष 10,000 मीटरी टन तक लोक स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए डी.डी.टी. का उपयोग करना निर्बन्धित है।

(3) केन्द्रीय सरकार यह और आदेश करती है कि उक्त अधिनियम की धारा 9 के अधीन विभिन्न रजिस्ट्रीकर्ताओं को रजिस्ट्रीकरण समिति द्वारा जारी किए गए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र इस आदेश को प्रभावी करने के लिए उपांतरित/रद्द हो जाएंगे।

(4) यह भी आदेश किया जाता है कि डी.डी.टी. के विनिर्माण और आयात के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों के सभी धारकों को अपने रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र सचिव, रजिस्ट्रीकरण समिति, पौध संरक्षण, संगरोध और संचयन निदेशालय, एन.एच.-4 फरीदाबाद (हरियाणा) को 15 जून, 1989 तक वापस लौटा देने चाहिए।

(5) तथापि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों का पृष्ठांकन/सत्यापन को इस आदेश के उपबन्धों के उल्लंघन में मूल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र पर प्रवर्तित होने के लिए अनुमति/अनुमोदन नहीं समझा जाएगा।

(6) सम्यक तारीख तक प्रस्तुत न किए गए प्रमाणपत्रों को रद्द किया गया समझा जाएगा।

[सं. 17-97/86-पी.पी.-I]

बी. नारासिंहन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th May, 1989

S.O. 378 (E).—Whereas, with a view to reviewing the continued use in India of pesticides that are either banned or restricted for use in other countries, the Government of India had set up an Expert Committee.

Now, therefore, after considering the recommendations of the said Expert Committee, and in consultation with the Registration Committee, set up under the Insecticides Act, 1968, the Central Government, in exercise of the powers conferred on it, under sub-section (2) of section 27 read with section 28 of the Insecticides Act, 1968, hereby passes the following order :—

(1) The use of DDT in agriculture is hereby withdrawn. In very special circumstances warranting the use of DDT for plant protection work, the State or Central Government may purchase it directly from Messers Hindustan Insecticides Limited, to be used under expert Governmental supervision.

(2) The use of DDT for the public health programme to 10,000 MTs per annum, except in case of any major outbreak of epidemic is hereby restricted.

(3) The Central Government further orders that the registration certificates issued by the Registration Committee to various registrants under section 9 of the said Act shall stand modified/cancelled to give effect to this order.

(4) It is also ordered that all the holders of the registration certificates for manufacture and import of DDT should return their registration certificates to the Secretary, Registration Committee, Directorate of Plant Protection, Quarantine and Storage, NH-IV Faridabad (Haryana) by the 15th June, 1989.

(5) However, non-endorsement|correction of the registration certificates will not be taken as permission|approval to operate upon original certificate of registration in contravention of the provisions of this order.

(6) Certificates not submitted by the due date shall be deemed to have been cancelled.

[No. 17-97|86-P. P. I]
B. NARASIMHAN, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989